कार्यालय नगर पालिका परिषद सोनभद्र, जनपद–सोनभद्र

पत्रांक :- 102 / राज्य वित्त–निविदा / 2021–22 दिनांक :- 29-5-2021

निविदा सूचना

निम्नांकित कार्य हेतु नगर पालिका परिषद सोनभद्र में पंजीकृत एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एक/706/कम्प्यू0सेल/2019 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के अनुसार ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य वित्त आयोग मद में उपलब्ध धनराशि से प्रस्तावित कार्य की सीलबन्द निविदा दिनांक 09.06.2021 को समय 12.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे जिलाधिकारी महोदय या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र की बिक्री दिनांक 08.06.2021 को 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के स्थानीय निकाय लिपिक काउण्टर से एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद सोनभद्र के निर्माण लिपिक काउण्टर से नकद भुगतान के आधार पर की जायेगी। निर्माण कार्य के सम्मुख अंकित निविदा का 2% जमानत धनराशि F.D.R या N.S.C मूल रूप से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोनभद्र के पदनाम से बन्धक कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त अथवा अपूर्ण एवं सशर्त निविदा पर कोई विचार नही किया जाएगा। प्राप्त निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	जमानत की धनराशि 2%	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	अस्थाई गौशाला में पाथवे इण्टरलाकिंग, नाली व रंगाई पुताई का कार्य।	7.20	14400.00	800.00	01 माह

निविदा की अन्य शर्तें–

1. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 कालम संख्या–4 में अंकित विवरण के अनुसार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोनभद्र के पदनाम से बन्धक कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार को शेष 8 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/ टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सोनभद्र के पदनाम से बन्धक कराकर जमा करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदा खोले जाने के समय निविदादाताओं की उपस्थिति वांछनीय है।
5. निर्माण कार्य में प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को फर्म के प्रोपराईटर के स्वयं के नाम का टी0–4, टी0–5, टी0–6, पैन नं0, जी0एस0टी0 एवं श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता को अपने व्यय से निर्धारित स्टैम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2आडिट/09 टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर परफार्मेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाताओ द्वारा उक्त जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. शासनादेश संख्या–115(1)/86–2020–52(सा0)/2019 टीसी दिनांक 15.01.2020 में स्पष्ट निर्देश है कि जिस खनिज की आपूर्ति बिना ई0एम0एम0–11 के माध्यम से कराया गया है उस खनिज की रायल्टी के साथ–साथ रायल्टी का पांच गुना खजिन मूल्य की वसूली ठेकेदार के बिल से की जायेगी एवं इस सम्बन्ध में भविष्य में उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश/आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता निविदा डालने के पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल को भलीभांति निरीक्षण अवश्य कर लें।
10. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र अधिकार जनपद सोनभद्र न्यायालय में होगा।
11. जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी प्राविधान लागू होने तथा नियमानुसार आयकर व अन्य करों की कटौती की जायेगी।
12. निविदा स्वीकृति के पश्चात् फर्म एवं ठेकेदार को एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी अन्यथा ठेकेदार की निविदा को निरस्त कर जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए दूसरे नम्बर की निविदा पर विचार किया जा सकता है।
13. ऐसे निविदादाता जिसका सगा, सम्बन्धी नगर पालिका में अधिकारी/कर्मचारी के पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का शपथ पत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यदि संज्ञान में आया तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
15. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा, विलम्ब की दशा में ठेकेदार के अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही/नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद–सोनभद्र

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद–सोनभद्र

संख्या– 102 (1-4) /दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– 1. ब्यूरो चीफ हिन्दी दैनिक ... सोनभद्र को इस आशय के साथ कि उक्त निविदा का प्रकाशन पालिका हित में न्यूनतम पठनीय जगह देते हुये तत्काल कराकर प्रकाशित समाचार पत्र की 04 प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2. प्रभारी अधिकारी NIC कलेक्ट्रेट सोनभद्र को जिलाधिकारी महोदय के आदेश पत्रांक–2250/ NIC–विविध/ 2015 दिनांक अप्रैल 09, 2015 के अनुपालन में।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. निर्माण लिपिक/लेखा लिपिक, नगर पालिका परिषद सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद–सोनभद्र

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद–सोनभद्र